कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल–462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 31/01/2019

क्रमांक 343/164/आउशि/सम्बद्वता/19 :: द्वारा महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019–20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यकम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यकम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यकमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019–20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रावधान कण्डिका क्र. 7 (स) **शुल्क संबंधी अन्य विवरण** (4) (2) के प्रावधान अनुसार पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर संकाय पूर्ण होने के उपरांत संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता बनाये रखने हेतु प्रति संकाय प्रति वर्ष राशि रूपये 1000/– (एक हजार) की दर से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन ही जमा करने एवं अग्रणी महाविद्यालय द्वारा संस्था का आवेदन अग्रेषित करने तथा शुल्क जमा होने संबंधी पुष्टी होने के पश्चात् महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय सागर के अंतर्गत आने वाले निम्नानुसार अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित आवेदित पाठ्यक्रमों/संकायों/विषयों की सत्र 2019–20 के लिये निरंतरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:–

क्र.	जिला	अशासकीय महाविद्यालय का नाम	पूर्व से संचालित संकाय/पाठ्यक्रम जिसके लिए निरंतरता शुल्क जमा किया गया है।	रिमार्क
1	छतरपुर	सृजन महाविद्यालय लवकुशनगर जिला छतरपुर	बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी., एम.ए., एम.एस.सी. एवं बी.एड़ 2	
2	छतरपुर	स्वामी प्रणवानंद महाविद्यालय छतरपुर	बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम, बी.सी.ए., एम.ए. इतिहास	
3	छतरपुर	पंडित मोती लाल नेहरू विधि महाविद्याल. छतरपुर	एल.एल.बी. बी.ए., एल.एल.बी., एल.एल.एम.	
4	छतरपुर	ए.के.इन्स्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंन्ट कॉलेज, राजनगर, छतरपुर,	बी.ए. एवं बी.कॉम.	बी.एस.सी. के लिये आवेदन नही है
5	छतरपुर	महर्षि दयानन्द शिक्षा महावि. महाराजपुर, जिला छतरपुर	बी.एड़ (दो वर्षीय)	
6	छतरपुर	महाराजा छत्रसाल शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर	बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी. एवं बी.एड़	

7	छतरपुर	बुंदेलखण्ड महाविद्यालय बक्शवाहा छतरपुर	बी.ए., बी.कॉम,	
8	छतरपुर	स्वामी प्रणवानंद महाविद्यालय डुमरा राजनगर जिला छतरपुर	बी.ए.	
9	छतरपुर	सरस्वती कॉलेज ऑफ कम्प्यूटर साइंस छतरपुर		
10	छतरपुर	तक्षशिला महाविद्यालय छतरपुर	बी.ए., बी.सी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम, बी.बी.ए., एम.एस.सी. एवं एम.कॉम	
11	छतरपुर	सनराइज महाविद्यालय नौगॉव जिला छतरपुर	बी.एस.सी., बी.कॉम, बी.ए., बी.एड., एम.कॉम	
12	दमोह	ओजस्विनी कालेज पार एक्सीलैन्स हथना, दमोह,	बी.ए. बी.काम. बी.एस.सी एम.एस.सी.एम. एस.सी. बी.एड. कम्प्यूटर संकाय	
13	दमोह	ओजस्विनी कालेज ऑफ एजूकेशन, दमोह,	बी.एड. एम.एड. एवं बी.पी.एड.	
14	पन्ना	मानस महाविद्यालय, बहादुरगंज अजयगढ़ पन्ना	बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी.	
15	सागर	बी.के.पी. कॉलेज ऑफ कम्प्यूटर एजूकेशन खण्डेराव वार्ड देवरी सागर	बी.ए., बी.कॉम., बी.एस.सी., बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए.	
16	पन्ना	निशा मेमोरियल कॉलेज फॉर एजूकेशन अमानगंज	बी.एस.सी., बी.ए.	
17	सागर	रामानंद कबीर साहेब कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय नरयावली, सागर	बी.ए., बी.कॉम	समिति अद्यतन कराने की शर्त पर
18	सागर	आचार्य विराग सागर विद्यापीठ बी. एड कॉलेज बीना	बी.ए., बी.कॉम,	
19	सागर	एस.एस.एच.सी. जैन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च सागर	बी.कॉम, बी.कॉम, बी.बी.ए.	
20	दमोह	जे.एल. वर्मा विधि महाविद्यालय, दमोह	एल.एल.बी. त्रिवर्षिय	
21	दमोह	महाकौशल कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड आर्टस् तेन्दूखेड़ा दमोह	बी.ए., बी.एस.सी. एम.ए., पी.जी.डी.सी.ए.	

22	पन्ना	वैष्णव माता विधि महाविद्यालय पन्ना	एल.एल.बी., बी.कॉम., बी.एस.सी.	
23	छतरपुर	श्री गणेश प्रसाद वर्णी स्नातक महाविद्यालय घुवारा जिला छतरपुर	बी.ए., बी.कॉम.	
24	दमोह	डॉ. विजयलाल स्मृति महाविद्यालय दमोह	बी.सी.ए., बी.कॉम., पी.जी.डी.सी.ए., एम.कॉम. बी.जे.सी., बी.ए., बी.एस.सी., बी.एड़	

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 27.02.2016 द्वारा एन.सी.टी.ई. के पाठ्यकमों हेतु राज्य शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नही किया जा रहा है। अतः एन.सी.टी.ई. के पाठ्यकमों को छोड़कर उपरोक्त विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों को उनके द्वारा पूर्व से संचालित पाठ्यकमों/संकायों को सत्र 2019–20 के लिये निरंतरता शुल्क जमा करने के फलस्वरूप पूर्व से संचालित ऐसे पाठ्यकमों जिनमें अंतिम वर्ष/उत्तरार्द्ध कक्षाओं के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र पूर्व में जारी हो चुका है, की सत्र 2019–20 कीं निरंतरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्ते एवं नियम यथावत रहेंगे।

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

31/1/19

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक **344/164**/आउशि/सम्बद्वता/18. भोपाल, दिनांक **31/01**/2019.

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1– विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2– निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म0प्र0)।
3– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
4– निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
5– अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय सागर संभाग सागर, (म0प्र0)।
6– कुल सचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म0प्र0)।
7– प्राचार्य, समस्त संबंधित शासकीय (अग्रणी) महाविद्यालय, सागर संभाग, सागर, (म0प्र0)।
8– अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य,–संबंधित संस्था, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, मध्यप्रदेश।
9– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।
——की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.